

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र.एफ 5/अभि./सीटीएडी/विधायक प्रस्ताव/20-21/20163-75 दिनांक : 3/8/2021

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर।

विषय : राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई।

प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में कार्यकारी एजेन्सी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर निम्नांकित तालिका के कॉलम सं-2 में वर्णित कार्यों हेतु कॉलम सं-8 में अंकित राशि अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है --

कार्यकारी एजेन्सी-समसा

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	ग्रा.पं.	पं.स.	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		कार्य एजेन्सी	
				क्र/दि.	राशि	क्र/दि.	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	जिला-उदयपुर								
1	रा.उ.मा.वि. गामडापाल में दो कक्षा-कक्ष मय बरामदा निर्माण	गामडा पाल	सलूमबर	22827-39/28.09.2020	20.00	SE/RCSCE/JAIPUR/1013/15.10.2020	20.05	समसा	
2	रा.उ.मा.वि. सेमाल दो कक्षा-कक्ष मय बरामदा निर्माण	सेमाल	सेमाल	22827-39/28.09.2020	20.00	SE/RCSCE/JAIPUR/1014/15.10.2020	19.86	समसा	
3	सैकण्डरी स्कूल सरेकलां में 2 कक्षा-कक्ष निर्माण	सरेकलां	बडगावं	22538-82/25.09.2020	20.00	AEN/SMSA/UDAIPUR/10/12.10.2020	20.05	समसा	
4	रा.उ.मा.वि. गरणवास में 2 कक्षा-कक्ष निर्माण	गरणवास	फलासिया	22538-82/25.09.2020	20.00	AEN/SMSA/UDAIPUR/10/09/12.10.2020	20.05	समसा	
				योग	80.00		80.01		
	कार्यकारी एजेन्सी की मांग अनुसार देय कन्टीनजन्सी राशि 1.00%							80010	
	मोनिट्रिंग कार्य हेतु आयुक्तालय में रखी जाने वाली राशि 0.25%							20002	

उपरोक्त कार्य पर स्वीकृत राशि रु. 80.01 लाख का व्यय इस विभाग द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को पूर्व में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण हेतु स्वीकृत एवं उपलब्ध कराई गई राशि में से होगा। यह राशि समसा उदयपुर के पास उपलब्ध है।

शर्तें-

- यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करे यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी कार्यादेश से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।

4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। स्वीकृत कार्यों का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करावे।
5. विभागीय अभियंताओ एवं प्लेसमेंट के माध्यम से आई.टी.डी.पी. अन्तर्गत कार्यरत अभियंताओ के माध्यम से कार्यों का निरीक्षण करवाया जावेगा।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
7. कार्य पूर्णता पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।
8. निर्माण कार्य पर टीएडी से स्वीकृत वर्ष, स्वीकृत राशि, व्यय राशि आदि का अंकन किया जावे।

sd
(प्रज्ञा केवलरमानी).I.A.S
आयुक्त

क्र.एफ 5/अभि./सीटीएडी/विधायक प्रस्ताव/20-21/20163-75 दिनांक : 3/8/2021
प्रतिलिपि-

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक/अधीक्षण अभियंता राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस पुलिया के सामने राजस्थान जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद उदयपुर को भेजकर लेख है कि आयुक्तालय में मोनिटरिंग कार्य हेतु आरक्षित रखी जाने वाली राशि रु. 20002/- आयुक्तालय में जमा करावे।
6. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
7. प्रभारी अधिकारी मॉनिटरिंग/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
8. प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. गामडापाल पंचायत समिति सलुम्बर जिला उदयपुर।
9. प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. सेमाल पंचायत समिति सराडा जिला उदयपुर।
10. प्रधानाचार्य रा.मा.वि. सरेकलां पंचायत समिति बडगांव जिला उदयपुर।
11. प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. गरणवास पंचायत समिति फलासिया जिला उदयपुर
12. गार्ड पत्रावली।

⑩
अतिरिक्त आयुक्त

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721
ई-मेल : comm.tad @ rajasthan.gov.in, Website www.tad.rajasthan.gov.in